न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्रीमती छगनदेवी पत्नी श्री ईश्वरलाल, जाति- पुरोहित, निवासी- फुंगणी, तहसील- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, फुंगणी, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, फुंगणी, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही
3. प्रकाशराज पुत्र मंछारामजी, जाति- पुरोहित, निवासी- फुंगणी, तहसील- सिरोही

प्रार्थना पत्र संख्या: 81/2020

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री विरेन्द्र एम. चौहान, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र नामा, अप्रार्थी संख्या- 3 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 28 दिसम्बर, 2020**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी प्रकाशराज पुत्र मंछारामजी, जाति- पुरोहित, निवासी- फुंगणी के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूखण्ड आवंटन का जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 13.12.2019 को निरस्त हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(1) के तहत प्रस्तुत किये गये निगरानी आवेदन के साथ साथ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(2) के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 15.12.2020 को अप्रार्थी संख्या-2 (ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, फुंगणी) ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्ततुत किया, उसके बाद अप्रार्थी संख्या-2 इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या- 3 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र नामा उपस्थित हुये व अप्रार्थी संख्या- 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, फुंगणी) को नोटिस की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही हुये।

(3) पक्षकारान के अधिवक्ता की दिनांक 21.12.2020 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए संकलित किया कि प्रार्थीया के पति श्री ईश्वरलाल पुरोहित का करीब 25-30 साल पुराना एक कब्जे शुदा भूखण्ड ग्राम फुंगणी में माताजी मंदिर के पास आया हुआ है, जिसके उत्तर में [illegible] का भूखण्ड, दक्षिण में पडत आबादी भूमि, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम [illegible] पत्नी नारायण जो पुरोहित [illegible] पंज दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.22 16:14:06 IST
Reason: SelfAttested

का भूखण्ड स्थित है, इस भूखण्ड का नाप उत्तर-दक्षिण 45 फीट व पूर्व-पश्चिम 30 फीट कुल क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट है। यह कि उक्त भूखण्ड पर प्रार्थीया अपने पति के जरिये पिछले 25-30 वर्षो से काबिज है एवं एक वर्ष पूर्व निर्माण हेतु मौके पर पत्थर डलवाये व नीवं खुदाई का कार्य शुरु करवाया था, लेकिन नीवं खुदाई के समय जलदाय विभाग की पाईप लाईन फुटने से जलदाय विभाग ने कार्य रुकवाया था, उसके बाद प्रार्थीया के पति श्री ईश्वरलाल की दिनांक 29.3.2020 को हत्या हो गई थी। यह कि प्रश्नगत भूखण्ड प्रार्थीया के पति के पुराने कब्जे का है जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा प्रार्थी के पति श्री ईश्वरलाल को जारी नोटिस दिनांक 16.4.2010 से होती है। यह कि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा प्रार्थीया के पति श्री ईश्वरलाल को उक्त भूखण्ड से कभी भी बेदखल नही किया गया है तथा मौके पर आज भी प्रार्थीया अपने पति के जरिये काबिज चली आ रही है। यह कि अप्रार्थी संख्या-3 ने ग्राम पंचायत, फुंगणी के सरपंच व सचिव से मेल मिलाप कर प्रार्थीया के उक्त कब्जेशुदा भूखण्ड का पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत अपने नाम से जारी करवा लिया। अप्रार्थी संख्या- 3 के पक्ष में रियायती दर पर पट्टा जारी किया गया है, लेकिन पट्टे की शुल्क राशि का अंकन पट्टे पर नही किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या- 3 का ग्राम फुंगणी में हिंगलाज माताजी मंदिर के पास मकान आया हुआ है जिसके मौके के फोटो प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये है। अप्रार्थी संख्या- 3 का मद्रास में व्यापार है और वहां भी फलेट/मकान लिया हुआ है। अप्रार्थी संख्या- 3 भूमिहीन व्यक्ति नही है। यह कि प्रश्नगत भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या- 3 द्वारा जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करने व मौके पर विवाद करने के कारण प्रार्थीया के देवर श्री फूलाराम ने पुलिस थाना, कालन्द्री में रिपोर्ट दर्ज करवाई जिस पर पुलिस थाना, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी संख्या- 3 के विरुद्ध धारा 107, 116(3) के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिरोही को इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है, इससे भी यह साबित है कि उक्त भूखण्ड प्रार्थीया के पुराने कब्जे का है। यह कि अप्रार्थी संख्या- 3 द्वारा प्रश्नगत पट्टे की आड में प्रार्थीया के कब्जेशुदा भूखण्ड पर जबरन निर्माण कार्य करना चाहता है, यदि अप्रार्थी संख्या- 3 द्वारा मौके पर जबरन निर्माण किया जाता है तो प्रार्थीया का निगरानी प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला निगरानी अप्रार्थी संख्या-3 को उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य करने से रोका जावे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेशित किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या- 3 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किये गये है, वे मूल निगरानी प्रकरण के है। प्रार्थीया या प्रार्थीया के पति का प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूखण्ड पर कभी भी कब्जा नही रहा है, बल्कि प्रश्नगत भूखण्ड मौके पर खाली होने के कारण ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी संख्या-3 को नियमानुसार रियायती दर पर आवंटन किया गया है, जिसकी शुल्क राशि भी अप्रार्थी संख्या-3 ने ग्राम पंचायत, फुंगणी में जमा करवाई है। [illegible] पंचायत, फुंगणी से [illegible] तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.22 15:14:06 IST
Reason: SelfAttested

नियमानुसार निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर मौके पर नीवं खुदाई करवाई तथा निर्माण कार्य चालू करवाया है। मौके पर अप्रार्थी संख्या- 3 काबिज है एवं मौके पर अप्रार्थी संख्या- 3 द्वारा डलवाई गई निर्माण सामग्री पडी हुई है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जो नोटिस प्रस्तुत किया है उस नोटिस से यह पुष्टि नही होती है कि प्रार्थीया के पति को ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में ही नोटिस दिया हो। यदि यह मान भी लिया जाये कि उक्त नोटिस प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में है तो भी एक अतिक्रमी को किसी प्रकार के कोई हक अधिकार उत्पन्न नही होते है। यह कि अप्रार्थी संख्या- 3 द्वारा ग्राम पंचायत, फुंगणी से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर जब निर्माण कार्य प्रारम्भ किया तो प्रार्थीया के देवर फुलाराम ने निर्माण में अवरोध पैदा करने की नियत से पुलिस थाने में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर पुलिस ने प्रार्थीया के देवर व अप्रार्थी संख्या- 3 के विरुद्ध कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिरोही को सी.आर.पी.सी. की धारा 107, 116(3) के तहत इस्तगासा प्रस्तुत किया है, ताकि मौके पर शांति भंग न हो। यह कि प्रार्थीया का पक्का मकान ग्राम फुंगणी में आया हुआ है व प्रार्थीया के पति के नाम से भी ग्राम फुंगणी में अन्य भूखण्ड का पट्टा जारी किया हुआ है। प्रार्थीया ने अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है, जबकि अप्रार्थी संख्या- 3 द्वारा अपने उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड पर नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करवाया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या- 3 के पास स्वयं का कोई मकान नही है। अप्रार्थी संख्या-3 ने 24 लाख रुपये में मकान निर्माण का ठेका दिया है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी संख्या- 3 के पक्ष में है एवं यदि अप्रार्थी संख्या- 3 के विरुद्ध मौके पर निर्माण नही करने के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या- 3 को अपूरणीय क्षति होगी, इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या- 3 के कथनों के जवाब में प्रार्थीया के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि 24 लाख में मकान निर्माण का ठेका देने वाला व्यक्ति गरीब कैसे हो सकता है। अप्रार्थी संख्या- 3 के अधिवक्ता ने जवाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे साबित हो कि अप्रार्थी संख्या- 3 को रियायती दर पर भूखण्ड का पट्टा जारी करने के बाद मौके पर कब्जा सुपुर्द किया हो, इसलिये माफैसला निगरानी स्थगन आदेश जारी किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी संख्या-3 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 108 के तहत क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूखण्ड का रियायती दर पर आवंटन करते हुए भूमि पट्टा संख्या 12 दिनांक 16.12.2019 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(1) के तहत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साथ उक्त अधिनियम की धारा 97 की उपधारा 2 के तहत यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में प्रार्थीया का मुख्यत: कथन यह है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रार्थीया का उसके पति श्री ईश्वरलाल के जरिये 25-30 वर्ष पुराना कब्जा है एवं ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा प्रार्थीया के पति या प्रार्थीया को प्रश्नगत भूखण्ड पर कभी भी दखल नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.22 16:14:06 IST
Reason: SelfAttested

किया गया है तथा मौके पर आज भी प्रार्थीया अपने पति श्री ईश्वरलाल के जरिये काबिज है। जबकि अप्रार्थी संख्या- 3 का यह कथन है कि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी संख्या- 3 को नियमानुसार रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन किया गया है एवं ग्राम पंचायत, फुंगणी से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर अप्रार्थी द्वारा मौके पर निर्माण करवाया जा रहा है।

प्रार्थीया ने अपने उक्त कथन के समर्थन में ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा प्रार्थीया के पति श्री ईश्वरलाल को अतिक्रमण के संबंध में जारी नोटिस दिनांक 16.4.2010 की छाया प्रति प्रस्तुत की है, लेकिन इस नोटिस से प्रथम दृष्टया इस तथ्य की पुष्टि नही होती है कि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा प्रार्थीया के पति श्री ईश्वरलाल को प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में नोटिस जारी किया हो। प्रार्थी पक्ष की ओर से ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही हुआ है जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता हो कि अप्रार्थी संख्या-3 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नही रखता हो। जबकि अप्रार्थी संख्या- 3 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या- 3 द्वारा ग्राम पंचायत, फुंगणी से उक्त पट्टा संख्या 12 दिनांक 16.12.2019 की भूमि पर निर्माण करने की स्वीकृति दिनांक 08.9.2020 को प्राप्त कर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी संख्या- 3 के पक्ष में प्रतीत होता है तथा यदि अप्रार्थी संख्या- 3 को निर्माण कार्य करने से रोका जाता है तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अत: प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

28/12/2020

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.22 15:14:06 IST
Reason: SelfAttested